;kSu

mRihM+u

;qokvksa o fd'kksjksa
ds fy, uqL[kk

iFke lLdj.k अक्टूबर 2013
सहयोगः यू. एन. विमेन. ऑफ़िस (इंडिया, भूटान
मालद्वीप एंड श्रीलंका), नई दिल्ली

pkFkk lLdj.k मार्च 2015
सहयोगः ब्रेड फ़ॉर द वर्ल्ड–प्रोटेस्टंट डेवेलपमेंट सर्विस
और मिज़ोरियोर
आभारः जुही जैन, सीमा श्रीवास्तव, सुरभि शुक्ला, निलांजू दत्ता एवं
जागोरी टीम

lkrok lLdj.k सितंबर 2017 (झारखंड के संदर्भ में संशोधित)
सहयोगः ओक फ़ाउंडेशन
आभारः अभिरुचि, मधु बाला, महावीर, प्रवीना एवं जागोरी टीम

प्रारूप व सज्जाः अरुणीमा सिंह/लूसिडा और जागोरी

मुद्रणः सिग्नेट जी प्रेस

केवल सीमित वितरण के लिए

प्रकाशन : जागोरी

प्रिय साथियों,

जागोरी सुरक्षित शहर हस्तक्षेप का उद्देश्य सुरक्षित और समावेशी शहरों का निर्माण करना, सार्वजनिक जगहों पर होने वाली जेंडर आधारित हिंसा को समाप्त करने के लिए जागरूकता, पैरवी और कार्रवाई में तालमेल की परिकल्पना करता है। इस दिशा में हमारी यह कोशिश है कि समाज की विभिन्न इकाईयोंए खासतौर से असंगठित कामगार, एकल, आदिवासी महिलाओं और छात्राओं को एकत्रित किया जाए, ताकि वे शहर पर अपने अधिकार की मांग को सुनिश्चित कर सकें। इस लधू मार्गदर्शिका का उद्देश्य सार्वजनिक जगहों पर होने वाले उत्पीड़न के मुद्दे पर जागरूकता बढ़ाना, साथ ही शहर में महिलाओं और लड़कियों के लिए अवसर और उनकी सहभागिता पर इसके प्रभाव को देखना है।

जेंडर आधारित हिंसा को खत्म करने के संघर्ष में सभी नागरिकों की सहभागिता बढ़ाने की यह एक कोशिश है। यह हिंसा से मुक्त शहर स्थापित करने के लिए एक कदम है, जो लोगों को सम्मान के साथ जीवन जीने की दिशा देता है। हमें विश्वास है कि इस मुद्दे पर गहरी समझ और स्पष्टता, युवा वयस्कों और किशोरों को अपने आक्रामक व्यवहारों को पहचानने और बदलने के लिए प्रेरित करेगी। एक सहयोगात्मक और दोस्ताना माहौल आपस में सबके बीच परस्पर सम्मान और सहभागिता के भाव का निर्माण करेगा।

शहर को महिलाओं और लड़कियों के लिए हिंसा मुक्त बनाने की मुहिम के साथ जुड़ें।

झारखंड एक विकासशील राज्य है। जिसमें कुल 24 जिले हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की आबादी 3.3 करोड़ है। राज्य की लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 948 है। इस आबादी में 28 प्रतिशत हिस्सा जनजातियों का और 12 प्रतिशत हिस्सा अनुसूचित जातियों का है। पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने के बाद से ही झारखंड में बुनियादी ढांचे और सामाजिक विकास संकेतकों के मद में उल्लेखनीय प्रगति हुई है मगर अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है, खासतौर से सामाजिक विकास के स्तर पर।

झारखंड अपने विपुल खनिज भंडारों के लिए विख्यात है और फलस्वरूप यहां एक अच्छी–खासी औद्योगिक पट्टी भी मौजूद है। इसी कारण, बीते सालों के दौरान यहां बड़ी संख्या में प्रवासी आकर बसे हैं जो बेहतर संभावनाओं की तलाश में झारखंड आए हैं। उनकी मौजूदगी से न केवल शहरों और कस्बों के विकास को बढ़ावा मिला है बल्कि राज्य का जनसांख्यिकीय स्वरूप भी बदल गया है। तेजी से बदलते स्थान पर जो तमाम प्राशासनिक चिंताएं और सामाजिक–सांस्कृतिक उथल–पुथल पैदा होती है, उसके चलते महिलाओं और लड़कियों के विरुद्ध होने वाले अपराधों, खासतौर से सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं और लड़कियों के साथ होने वाली यौन हिंसा में इजाफा एक मुख्य घटनाक्रम है।

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एन सी आर बी) के अनुसार 2015 में झारखंड में महिलाओं के ख़िलाफ़ अपराधों के पंजीकृत मामलों की संख्या 6,518 थी, जो की पिछले वर्ष की तुलना में 5.46% अधिक है।

राज्य की राजधानी और सबसे अधिक आबादी वाला जिला होने के नाते रांची में महिलाओं के विरुद्ध सबसे ज्यादा अपराध दर्ज किए गए हैं। झारखंड पुलिस द्वारा जारी किए गए डेटा के अनुसार, रांची से सटे अन्य जिलों – हजारीबाग, गुमला और खुंटी – में भी दहेज हत्या, घरेलू हिंसा, बलात्कार और यौन उत्पीड़न जैसे अपराधों के साथ–साथ 'डायनों' को मारने की घटनाएं भी काफ़ी बड़ी संख्या में दर्ज की गई हैं।

हिंसा व हिंसा का डर महिलाओं व लड़कियों की हर पहुंच – जिसमें रोज़गार, स्वास्थ्य, शिक्षा, राजनैतिक व मनोरंजन सुविधाएं शामिल हैं – को सीमित करता है। इसलिए हिंसा व हिंसा के डर के कारण, महिलाएं व लड़कियां शहरी जीवन के विभिन्न पहलुओं से वंचित रहती हैं।

सुरक्षा की पारम्परिक या समाज की पितृसत्तात्मक समझ महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने की ज़रूरत पर ज़ोर देकर उन पर सुरक्षा व बचाव दोनों की ज़िम्मेदारी डाल देती है। महिलाओं को निर्धारित सीमाओं के अंदर रहकर अपनी सुरक्षा करने की हिदायत देती हैं। उनके चाल चलन, पहनावा, आवाजाही इत्यादि पर सवाल उठाते है। महिलाओं के लिए सुरक्षित शहर आंदोलन का मूल विश्वास यही है कि हिंसा मुक्त समाज और हिंसा मुक्त वातावरण की तैयारी की जिम्मेदारी सिर्फ किशोरियों या महिलाओं की ही नही बल्कि पूरे समाज की है।

सुरक्षित शहर हस्तक्षेप का उद्देश्य सुरक्षित और समावेशी शहरों का निर्माण करना है। एक सुरक्षित शहर जिसमें महिलाएं और लड़कियां हिंसा और हिंसा के डर व ख़तरों से आज़ाद होती हैं। जहाँ महिलाएं व लड़कियां सार्वजनिक स्थलों व सार्वजनिक जीवन का आनंद बिना डर के उठाती हैं। वह शहर जहाँ राज्य व स्थानीय सरकार महिलाओं और लड़कियों के ख़िलाफ़ होने वाली हिंसा की रोकथाम व उसके लिए न्याय सुनिशचित करती है।

इस पुस्तिका में जागोरी बहुत सरल शब्दों के माध्यम से सार्वजनिक जगहों और कार्य स्थलों पर होने वाली हिंसा से निपटने के लिए उपयोगी तरीकों पर बात कर रही है।

हमारी गुज़ारिश है कि आप यह पुस्तक अपने परिवार, दोस्तों, सहकर्मियों और सहपाठियों के साथ ज़रुर बांटे।

सभी लोगों के लिए सम्मान, गरिमा सुनिश्चित करने व महिलाओं और लड़कियों के ख़िलाफ़ हिंसा के सभी रुपों को ख़त्म करने की इस मुहिम में अपना सक्रिय योगदान दें।

यौन उत्पीड़न क्या है?

- अनचाहा स्पर्श, गले लगना, लिपटना या चूमना।
- घूरना, ताकना, सीटी बजाना, आंख मारना।
- अश्लील हरक़तें जैसे जान बूझकर चिपकना, गुप्तांगों को सहलाना, होठों पर जीभ फेरना, आखें तरेरना, नोचना या चूंटी काटना।
- यौन अर्थ वाले, अभद्र कमेंट, सवाल, शब्द, गाने अथवा औरत के शरीर, कपड़ों, शरीर की बनावट, यौनिकता संबंधी यौनिक संवाद व जुमले।
- अभद्र तरीक़ों से गुप्तांगों का प्रदर्शन, सार्वजनिक रूप से हस्त मैथुन करना जिससे औरतों को असहजता, शर्मिन्दगी या गुस्सा महसूस हो।
- कोने में घेरना, झांकना, गले के आसपास ठंडी सांसे छोड़ना जैसी हरक़तों से महिला की निजी जगह और गोपनीयता का हनन करना।
- जान बूझकर या ज़बरदस्ती यौन इंटरनेट साईट, पोर्नोग्राफ़िक फ़िल्में, तस्वीरें, लेख, कार्टून, चुटकुले व ग्राफ़िटी दिखाना या देखने को मजबूर करना।
- यौन प्रस्ताव या अर्थ लिए फ़ोन, ईमेल, एसएमएस, एमएमएस, खत, कार्ड, पोस्टर, तोहफ़े।
- 'डेट', घूमने–फिरने व यौन संबंध बनाने के लिए अनचाहे प्रस्ताव या ज़बरदस्ती।

यौन उत्पीड़न क्या है?

- स्टॉकिंग (जासूसी करना), मना करने के बावजूद, शारीरिक या अन्य माध्यमों से सम्पर्क बनाना।
- कपड़े उतारना या नग्न होने के लिए मजबूर करना।
- व्वॉयरिज़्म' यानी निजी कार्य करते हुए औरत की फ़िल्म बनाना, बिना बताए फ़ोटो खींचना, देखना और तस्वीरें वितरित करना।
- किसी भी तरह की कार्रवाई, हरक़त, कमेंट, गाने या संवाद के माध्यम से औरत की गरिमा का अपमान करना।

क़ानून के अनुसार

आपराधिक क़ानून (संशोधन) अधिनियम 2013 के अंतर्गत, यौन उत्पीड़न को भारतीय दंड संहिता की निम्न धाराओं के तहत दण्डनीय अपराध मानते हुए सज़ा का प्रावधान किया गया है:

Û /kkjk 294% दूसरों को परेशान करने के इरादे से की जाने वाली अश्लील हरक़तें व गाने।

अगर कोई व्यक्ति सार्वजनिक जगह पर अश्लील हरक़त अथवा अश्लील गाने, कविता या शब्दों का प्रयोग करता है तो उसके लिए जुर्माने के साथ, तीन महीने की कैद की सज़ा या दोनों का प्रावधान किया गया है।

Û /kkjk 354 ,% किसी भी व्यक्ति द्वारा जान बूझकर महिला का शील भंग या अपमान करने के इरादे के साथ किया गया हमला या ज़बरदस्ती के लिए जुर्माना सहित कैद की सज़ा या दोनों का प्रावधान किया गया है।

क) यौन उत्पीड़न –

1. शारीरिक सम्पर्क व रूझान जिसमें अनचाहे और स्पष्ट यौन प्रस्ताव शामिल हों।
2. यौन प्रस्ताव की मांग या निवेदन।
3. महिला की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ पोर्नोग्राफ़ी व अश्लील साहित्य दिखाना।
4. यौन अर्थ वाले जुमले।

सज़ाः तीन वर्ष की अवधि की जुर्माना सहित कैद या दोनों का प्रावधान।

ब) किसी भी महिला को ज़बरदस्ती या डरा–धमकाकर निर्वस्त्र करना या होने को बाध्य करना।

सज़ा : कम से कम तीन से सात वर्ष की सज़ा व जुर्माना।

Û ,l 354 lh n'kujfr ¼0ok;fjTe½

क) 'निजी' गतिविधि में वयस्त महिला को देखना या उसकी फ़ोटो खींचना या फ़िल्म बनाना।

सज़ा : पहली बार अपराध साबित होने पर कम से कम एक से तीन वर्ष की सज़ा व जुर्माना बार–बार अपराध करने पर कम से कम तीन से सात साल की सज़ा व जुर्माना।

स) स्टॉकिंग (लुक–छिपकर पीछा करना)

किसी महिला का जबरन पीछा व उससे मेलजोल या व्यक्तिगत सम्पर्क बनाने की कोशिश जबकि वह स्पष्ट रूप से अपनी अरुचि ज़ाहिर कर चुकी हो अथवा उसके इंटरनेट, ईमेल या अन्य संचार उपकरणों की ताका–झांकी।

सज़ा : तीन वर्ष तक की सज़ा। बार–बार अपराध करने पर सज़ा की अवधि पांच वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है व जुर्माना।

dk;LFky ij efgykvks ds lkFk ;kSu fgalk ¼cpko] fu"ks/k o izfrdkj½ dkuwu 2013

"किसी भी महिला के साथ, किसी भी कार्यस्थल या काम की जगह पर, फिर चाहे वह सार्वज़निक हो, चाहे निजी, चाहे वह महिला वहां नौकरी करती हो या नहीं, यौन उत्पीड़न नहीं किया जा सकता।"

कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन हिंसा (बचाव, निषेध व प्रतिकार) क़ानून 2013 में एस–3(2) के तहत यौन उत्पीड़न को निम्न रूप से परिभाषित किया गया है।

1. निहित या खुला–

अ) रोज़गार में पक्षपातपूर्ण व्यवहार का वादा;

ब) रोज़गार में पक्षपातपूर्ण व्यवहार की धमकी;

स) मौजूदा व भविष्य में रोज़गार के दर्जे की धमकी;

2. काम में रूकावट पैदा करना या आक्रामक, अपमान. जनक व्यवहार या डराने–धमकाने वाला माहौल बनाना।

3. सुरक्षा व स्वास्थ्य प्रभावित करने वाला अपमानजनक व्यवहार।

इस क़ानून की धारा एस 2 (0) में कार्यस्थल की परिभाषा में निम्न शामिल किए गये हैं:

- सरकारी विभाग/संस्थान
- निजी खण्ड संगठन/संस्थान
- अस्पताल/नर्सिंग होम
- खेल संस्थान
- काम के सिलसिले में कर्मचारी द्वारा उपयोग की जाने वाली जगह व मालिक द्वारा प्रदान किया गया यातायात।

शिकायत समितिः इस क़ानून के अनुसार हर उस मालिक को, जिसके यहां दस या इससे अधिक व्यक्ति नौकरी करते हों, कार्यस्थल पर यौन हिंसा की शिकायतें निपटाने के लिए एक *आंतरिक शिकायत समिति* का गठन करने का आदेश दिया जाता है। समिति गठित न करने या समिति के सुझावों की अवहेलना करने पर (पहली बार) 50,000 रूपये तक का जुर्माना तथा दूसरी बार में दोहरा जुर्माना और/अथवा व्यवसाय चलाने का लाइसेंस रद्द करने का दंड दिया जा सकता है। (एस 26, एसएचए)

मालिक का यह भी दायित्व है कि भारतीय दंड संहिता के तहत उत्पीड़क के विरूद्ध कार्यवाही करे और पीड़ित महिला को भारतीय दंड संहिता के तहत कार्यवाही करने में सहयोग प्रदान करे, बशर्ते महिला ख़ुद ऐसा करना चाहती हो।
(एस 5, एसएचए)

अगर आंतरिक शिकायत समिति का गठन नहीं किया गया है तो महिला अपनी शिकायत ज़िला कार्यालय द्वारा गठित *स्थानीय शिकायत समिति* के पास भी दर्ज करवा सकती है।
(एस 5, एसएचए)

bl dkuu ds rgr f'kdk;r ntZ dSls djsa\

कोई भी महिला अपने साथ हुए यौन उत्पीड़न की शिकायत घटना के तीन माह के भीतर, आंतरिक/स्थानीय शिकायत समिति (एस 9) के पास दर्ज कर सकती है। अगर महिला मानसिक/शारीरिक अक्षमता या मृत्यु के कारण शिकायत दर्ज करने में असमर्थ है तो उसका क़ानूनी उत्तराधिकारी भी शिकायत दर्ज करवा सकता/सकती है।

tkp&iM+rky ds nkSjku%

1. पीड़ित महिला या प्रतिवादी का तबादला किया जा सकता है।
2. महिला को तीन महीने तक का अवकाश दिया जा सकता है।
3. महिला को सरकार द्वारा नियत अन्य राहतें प्रदान की जा सकती हैं।

tkp&iM+rky dk ifj.kke%

अपनी जांच करने के बाद आंतरिक/स्थानीय शिकायत समिति मालिक को साठ दिनों के अंदर –

Û (एस 13, एसएचए) प्रतिवादी के ख़िलाफ़ यौन उत्पीड़न के अपराध के लिए सेवा नियमों या सरकारी आदेश द्वारा नियत कार्यवाही करने का सुझाव दे।

Û प्रतिवादी के वेतन से उचित धनराशि बतौर मुआवज़ा/जुर्माना घटाने का सुझाव दें।

इस जांच प्रक्रिया के बाद पीड़ित महिला सरकारी अदालत में भी अपील दर्ज कर सकती है। यह अपील समिति द्वारा दिये गये सुझावों के नब्बे दिनों की अवधि के भीतर की जानी चाहिए।

mRihMu d vud y{;

लड़कियों, महिलाओं, पुरुषों व लड़कों के अलावा कुछ अन्य सामाजिक रूप से कमज़ोर व अरक्षित समूह और समुदाय भी हैं जिन्हें अपनी सामाजिक पहचान के कारण उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। हमारे समाज में एक ख़ास प्रकार के लैंगिक व यौन झुकाव को नार्मल या सामान्य समझा जाता है। जो कोई भी इसका अनुसरण नहीं करता वह हिंसा का शिकार बनता है।

शारीरिक, इंद्रीय या मनोवैज्ञानिक रूप से अपंग व्यक्तियों को कमतर व असक्षम समझा जाता है या उनके साथ यौन उत्पीड़न किया जाता है। इसी तरह वैकल्पिक यौन झुकाव (पारलिंगी, समलैंगिक पुरुष व महिलांए, द्वलिंगी) और अपारम्परिक लैंगिक व्यवहार करने वालों (ज़नाने व्यवहार वाले पुरुष या मदार्ना बर्ताव करती महिलाएं) को अक्सर अपने बात करने, कपड़े पहनने, यौन झुकाव के कारण मज़ाक और हिकारत का विषय बनना पड़ता है।

किसी भी प्रकार का भेदवाव, अलगाव, बहिष्कार, अपमानजनक या आपत्तिजनक कथन अथवा गोपनीयता का हनन गैर क़ानूनी और अवैध होता है और जिसे यौन उत्पीड़न करार दिया जाता है।

यह महत्वपूर्ण है कि हम दूसरों द्वारा किये गये चुनावों को समझें और उनका सम्मान करें तथा उनके प्रति पूर्वाग्रह और असहजता दर्षाने वाले व्यवहारों पर रोक लगाएं। हमें यह सुनिष्चित करने की ज़रूरत है कि इस तरह के सभी लोगों के अधिकार और चुनावों की सुरक्षा और गरिमा की रक्षा की जा सके।

yMfd;k@efgykvk d fy, l>ko D;k dj&D;k u dj\

Û ;ku mRihMu dk igpku % आपको असहज, अपमानित या डराने वाला काई भी व्यवहार उत्पीड़न है। यहां यह मायने नहीं रखता कि दूसरे व्यक्ति का इरादा क्या था बल्कि आप क्या महसूस करती हैं इस बात के अधिक मायने हैं। अगर आप महसूस कर रही हैं कि आप के साथ उत्पीड़न हुआ है तो आपको इसका विरोध करने का पूरा अधिकार है।

Û tkj vkj n<rk l ^u* dg % उत्पीड़न होने पर उत्पीड़क का सामना करें। अपने जवाब या प्रतिक्रिया में कुछ इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना अच्छा रहेगा– 'मुझे यह पंसद नहीं' या 'बंद करो'। इन शब्दों को अपनी सायास प्रतिक्रिया बनाने के लिए बार–बार दोहराएं।

Û lrdl vkj vkRefo'okl h cu % संयम के साथ उत्पीड़क की आंखों में आंखे डालकर बात करें। दृढ़ता और स्पष्टता से अपनी बात रखें जिससे सामने वाले को सीधा संदेश मिले कि आप सजग हैं और आपको उस जगह मौजूद होने का हक़ है।

Û ey tky o lg;kx c<k, % अकेलापन हमें अरक्षित बनाता है। दोस्तों व जानकार लोगों का सहयोग और साथ उत्पीड़न रोकने में मददगार साबित होता है। इसके साथ ही, आपकी मौजूदगी में अगर किसी के साथ उत्पीड़न हो रहा हो तो उसकी मदद और प्रतिक्रिया के लिए ख़ुद को तैयार रखें।

Û ?kVuk dh fjikVZ dj % यौन उत्पीड़न के मामले में घटना की पुलिस में औपचारिक शिकायत बहुत ज़रूरी है। यौन हिंसा अपराध है जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। यह मानवाधिकार हनन का गंभीर मसला है जिसकी रिपोर्ट उचित पदाधिकारियों के पास दर्ज की जानी चाहिए।

Û vkidk lEeku dju oky yMdk@i:"kk dh ljkguk dj % पृष्ठभूमि, पहनावे और भाषा के आधार पर लड़कों के प्रति बेरूखी या हिक़ारत आपकी नकारात्मकता और पूर्वाग्रहों को दर्शाता है। इस तरह का व्यवहार अलगाव पैदा करता है जो प्रतिक्रियात्मक रूप से उत्पीड़न को दावत दे सकता है।

Û fgpfdpk, ugh % आप मदद मांग सकती हैं। यौन उत्पीड़न आपकी गलती नहीं है। आपके सहायता मांगने पर अक्सर लोग आपकी मदद करेंगे। वे स्वयं आपकी मदद के लिए आएंगे इसका इंतज़ार न करें। आप आगे बढ़कर उनकी ओर मदद के लिए हाथ बढ़ाएं।

Û viu Mj dk [kydj c;ku dj % सड़क या सार्वजनिक जगहों पर डर, घबराहट, अनिश्चितता के साथ या सर झुकाकर न चलें। एक दृढ़ और आत्मविश्वासी चाल अक्सर उत्पीड़न को रोकने में मदद करती है।

Û mRihMu dj fy, [kqn dk nk"kh u Bgjk, % उत्पीड़न पुरूषों द्वारा महिलाओं पर अपनी सत्ता और मर्दानगी प्रदर्शित करने का तरीक़ा है। आपका पहनावा या आपका व्यवहार किसी भी अनचाहे बर्ताव या उत्पीड़न को न्योता नहीं देता।

yMdk@i:"kk d fy, l>ko% D;k dj&D;k u dj\

Û ^enkuxh* fn[kku l ijgt dj % शारीरिक ताक़त के भद्दे प्रदर्शन और बेहूदे मर्दाने व्यवहारों को कोई भी पसंद नहीं करता। अक्सर लड़के अपने दोस्तों के बीच स्वीकृति और अहमियत पाने या फिर दूसरों की धौंस से बचने के लिए तथाकथित मर्दाना रवैयों का दिखावा करते हैं। इस तरह का व्यवहार उपयुक्त नहीं होता। अपने शब्दों/व्यवहारों पर ध्यान दें। उन्हें परखें, सम्मानजनक और शालीन बनें। अपनी महिला दोस्तों से पूछें कि पुरूषों के कौन से मर्दाने व्यवहार उन्हें अपमानजनक महसूस कराते हैं।

Û vkjrk d lkFk viu 0;ogkj d ifr pru jg % महिलाओं को धौंस जमाना, ज़रूरत से ज़्यादा दोस्ताना व्यवहार और ज़बरदस्ती की नज़दीकी बढ़ाने वाले बर्ताव नागवार गुज़रते हैं। उनके साथ सम्मानजनक व्यवहार और बात करें। महिला विरोधी भाषा, गाली और अश्लील ज़बान से परहेज़ करें। आप चाहें तो ऐसे उपयुक्त और दोस्ताना व्यवहार और बात करने के तरीक़ों का अभ्यास करें जो आपको अधिक आत्मीय या धौंस जमाने वाले व्यवहार करने से रोकें।

Û yMfd;k@efgykvk dk cjkcjh dk ntk n % लड़कियों को अपनी दोस्त और सहकर्मी समझकर उनका सम्मान करना सीखें। हिकारत और श्रेष्ठता का रवैया अक्सर स्वस्थ दोस्तियों को ख़तरे में डाल देता है।

Û lrd jg vkj enn dju d fy, r;kj jg % अपने आसपास होने वाले यौन उत्पीड़न के प्रति सतर्क रहें। अगर आपसे सहायता मांगी जाए या अगर आपको लगे कि आपके सहयोग की ज़रूरत है तो मदद करने के लिए तैयार रहें। अक्सर आपके द्वारा दिखाई गई मदद उत्पीड़क को रोकने के लिए काफ़ी होगी। फिर भी, याद रखें कि हर लड़की 'असहाय पीड़िता जिसे आपकी सुरक्षा की ज़रूरत हो' नहीं होती। यह भी हो सकता है कि कुछ लड़कियां आपकी दी जाने वाली अनचाही मदद से परेशानी महसूस करें और इससे हालात और ज़्यादा बिगड़ जाएं।

Û ;g ekudj u pyl fd vkjrk dk NM[kkuh iln gkrh g % यौन उत्पीड़न एक अपराध है जिसे स्वीकारा नहीं जा सकता; यह महज़ मज़ाक नहीं होता। औरतों को उत्पीड़न से नफ़रत होती है और वे किसी भी तरह के महिला विरोधी मज़ाक या अनचाही छेड़खानी को पसंद नहीं करतीं। हिंदी फ़िल्मों में दिखाए जाने के ठीक विपरीत उत्पीड़न औरतों को असहज और असुरक्षित महसूस करता है।

- viu i lnhnk diM iguu okyh ^lkglh* efgyk, mRihMu dk nkor ugh nrh % आपका पहनावा आपके चुनाव का आईना है, पर आपके रवैयों या आपके व्यवहार को यह नहीं दर्शाता। पुरूष व महिलाएं दोनों को अपनी मर्ज़ी के कपड़े पहनने का हक़ है। हो सकता है कि आपको किसी लड़की का पहनावा पसंद न आए पर इससे आपको अपना गुस्सा या अस्वीकृति दिखाने का अधिकार नहीं मिलता। यौन उत्पीड़न एक अपराध है जिसे किसी भी दलील द्वारा जायज़ नहीं ठहराया जा सकता।
- mRihMu dk *gYdk* u le>a % उत्पीड़न कोई मज़ाक या हल्का–फुल्का व्यवहार नहीं है। यह अनचाही और आक्रामक सत्ता का प्रदर्शन है जो लड़कियों/महिलाओं के आत्म विश्वास को कम करता है और उन्हें गुस्से और नाराज़गी का अहसास दिलाता है।
- vkjrk dk mRihMu vkidh enkuxh dk lcr ugh g % ख़ुद को असली मर्द साबित करने और अपने दोस्तों के बीच स्वीकृति पाने के लिए औरतों का उत्पीड़न करना ग़लत है। औरतों को साथी और दोस्तों की ज़रूरत होती है, बेइज़्ज़त करने और नीचा दिखाने वाले उत्पीड़कों की नहीं। भेड़चाल या भीड़ का साथ देना भेड़–बकरियों का चलन है पर हिंसक उत्पीड़कों की भेड़चाल से ख़ुद को अलग रखकर आप उन लोगों का सम्मान हासिल कर पाएंगे जो आपके जीवन में महत्व रखते हैं।

यौन उत्पीड़न के ख़िलाफ़ विरोध, रिपोर्ट और कार्यवाही

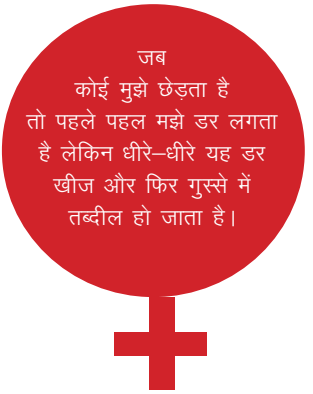

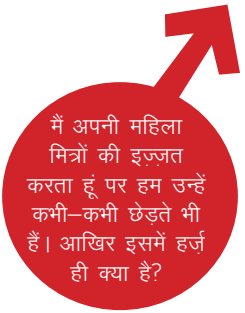

यौन उत्पीड़न के ख़िलाफ़ विरोध, रिपोर्ट और कार्यवाही

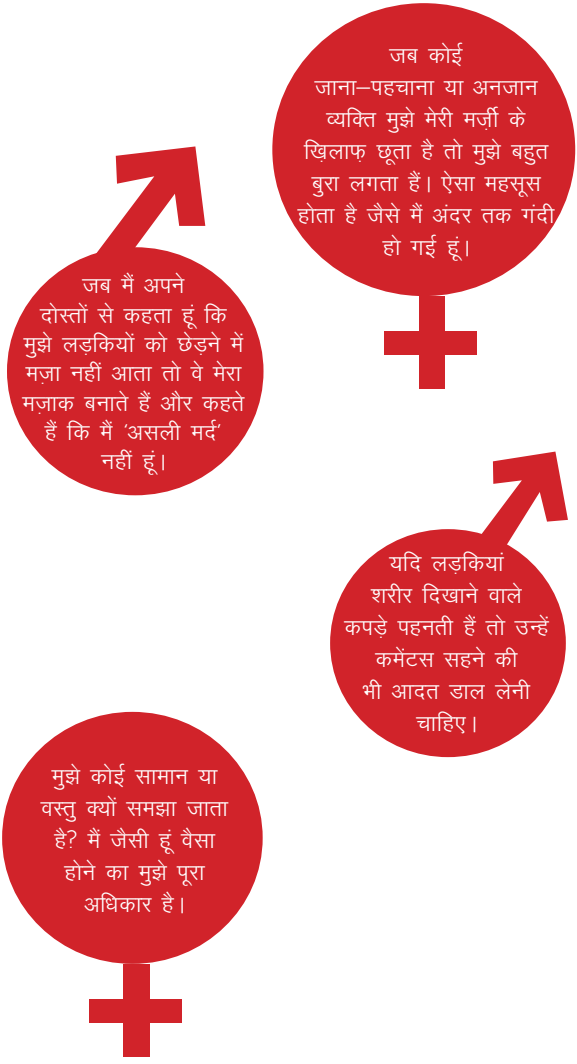

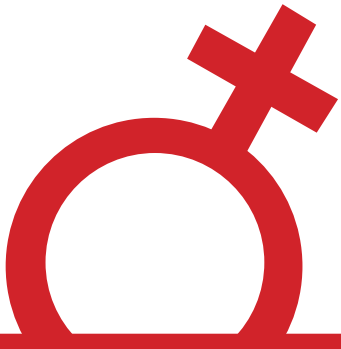

yMfd;k@efgykvk d fy, ,d vkf[kjh fgnk;r%

ख़ुद को बेवकूफ़ न बनाएं, यौन उत्पीड़न को हरगिज़ नज़रअंदाज़ न करें।

ख़ुद को ढककर रखने से उत्पीड़न को नहीं रोका जा सकता और न ही भारतीय परिधान पश्चिमी वेशभूषा से ज़्यादा सुरक्षा प्रदान करते हैं। अपनी मर्ज़ी के कपड़े पहनना आपका हक़ है। ऐसे कपड़ों का चुनाव करें जिसमें आप आरामदायक और आत्म–विश्वासी महसूस करें। यह भी सोच लें कि अगर कोई आपके पहनावे पर नकारात्मक टिप्पणी करता है तो आपका जवाब क्या होगा।

अपनी सामाजिक पहचान और चुनाव से परे एक गरिमा और आत्म–सम्मान का जीवन बसर करना आपका हक़ है। सामाजिक बदलाव आने में लम्बा समय लगता है परन्तु इसके कारण आपको अपने अधिकारों से समझौता करने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है।

याद रखें–यौन उत्पीड़न एक गंभीर अपराध है, इसे नज़रअंदाज़ नहीं किया जाना चाहिए। अपनी पहचान पर फ़ख्र करें। ख़ुद को कभी भी क़ुसूरवार न ठहराएं। जुर्म की रिपोर्ट करें और उसके ख़िलाफ़ कार्यवाही करें। अब सक्रिय कार्यवाही का समय है।

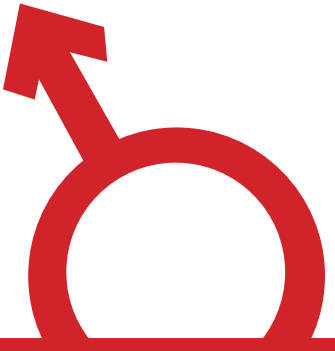

yMdk@i#"kk d fy, vkf[kjh fgnk;r%

आपके लिए एक सरल यौन उत्पीड़न मापक यह है:

कोई भी चुटकुला सुनाने, कमेंट मारने, शरारत करने या किसी लड़की की तरफ़ कदम बढ़ाने से पहले खुद से निम्न सवाल पूछें:

• क्या मैं खुद को उस पर थोपने की कोशिश कर रहा हूं?

• अगर इस घटना को टीवी पर प्रसारित किया जाए या इसे फ़िल्माया जाए तो मुझे कैसा महसूस होगा?

• मेरी इस हरक़त पर मेरी मां, बहन, प्रेमिका या किसी अन्य महिला जानकार की क्या प्रतिक्रिया होगी?

अगर इन सवालों के जवाब आपको असहज महसूस कराएं तो ऐसा कभी न करें। अगर लड़की आपके किसी व्यवहार का कोई जवाब नहीं देती या उनसे असहज महसूस करती है तो उसकी भावना का सम्मान करते हुए इन व्यवहारों को अभी बंद कर दीजिए।

यौन उत्पीड़न का सामना होने पर आप तथा अन्य लोग निम्न व्यवहारों पर अमल करें।

आप क्या कर सकती हैं?

Û lMd ;k vU; lkoZtfud txg ij %

अपने आसपास मौजूद लोगों (दोस्तों/अजनबियों) की मदद लें और उनका ध्यान उत्पीड़क और इस अपराध की ओर आकर्षित करें। पास के थाने में जाकर लिखित शिकायत दर्ज कराएं। यह पुलिस का कर्तव्य और आपका अधिकार है कि आप उत्पीड़क के ख़िलाफ़ तात्कालिक कार्यवाही की मांग करें। स्कूल/कालेज/विश्वविद्यालय/या किसी अन्य कार्यस्थल या काम की जगह पर शिकायत दर्ज कराने के लिए कॉलेज की शिकायत समिति या अन्य आधिकारिक इकाई से सम्पर्क करें। किसी आधिकारिक इकाई के अभाव में महिला विकास केंद्र या स्कूल/कालेज के शिक्षिक/प्राध्यापक या अन्य आधिकरिक प्रतिनिधि से सम्पर्क करके अपनी शिकायत दर्ज कराएं।

सामाजिक/क़ानूनी सलाह और परामर्श के लिए आप अन्य संगठनों/समूहों से भी मदद ले सकती हैं। क़ानूनी तौर पर पास के पुलिस थाने में प्राथमिकी (एफ़आईआर) दर्ज कराने का सुझाव इस दिशा में पहला क़दम माना जाता है।

यौन उत्पीड़न/बलात्कार के मामलों में पुलिस का दायित्व है कि प्राथमिकी दर्ज करें। ऐसा करने से मना करने पर पुलिस अफ़सर/कर्मचारी को भारतीय दंड संहिता की धारा एवं 166 ए के तहत छः महीने से दो साल तक की कैद व जुर्माने की सज़ा का प्रावधान किया गया है।

सभी निजी व सरकारी अस्पतालों को भी तेज़ाबी हमले तथा गंभीर बलात्कार (एस 357सी–आपराधिक दंड संहिता) के मामलों में पीड़ित को मुफ़्त सहायता व चिकित्सीय इलाज प्रदान करने का आदेश जारी किया गया है। ऐसा न करने पर अस्पताल के पदाधिकारी को भारतीय दंड संहिता की धारा एस 166 बी के तहत एक वर्ष की कैद व जुर्माना या दोनों की सज़ा का प्रावधान किया गया है।

किसी भी आपातकालीन परिस्थिति में इन हैल्पलाइन/सहायता केंद्रों से निम्न नंबरों पर सम्पर्क करें :

अन्य जानकारी व प्रतियों के लिए सम्पर्क:

safecities.jharkhand@jagori.org

gYiykbu&jkph ,oa gtkjhckx

पुलिस कंट्रोल रूम	100
अग्निशमन	101
एम्बुलेंस	102
चाइल्डलाइन	1098
महिलाओं के लिए राज्य पुलिस हैल्पलाइन	9771432103 9437100003

yhxy ,M oa lgk;rk lsok,a

ljdkjh

झारखंड कानूनी सेवा प्राधिकरण (झालसा) न्याय सदन, निकट ए.जी. ऑफ़िस दोरांडा, रांची–834002	2481520
राज्य महिला आयोग झारखंड राज्य महिला आयोग इंजीनियर हॉस्टल–1, पहली मंज़िल धुरवा, रांची– 834004, झारखंड	9431345563 2401865
राज्य श्रम विभाग	18003456526
शेल्टर होम नारी निकेतन (स्नेहाश्रे), कुमारबाग, रोड़ न. 10 अरसन्डे, कांके रांची–834006	2451552 8083576029

आप क्या कर सकती हैं?

सखी केंद्र–वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर 2451911
वन स्टॉप सेंटर रिनपास
(रांची इंस्टीट्यूट ऑफ़ न्युरो–साइकाइट्री
एंड एलाइड साइंसिज़), कांके रोड, कांके, रांची– 834006

राष्ट्री रैगिंग विरोधी हैल्पलाइन 18001805522

झारखंड पुलिस मानव व्यापार विरोधी इकाई 9431706158

शक्ति महिला सुरक्षा एप्प
http://shakti.jhpolice.gov.in/en/; http://shakti.jhpolice.gov.in/hi/

x|j ljdkjh lxBu] ¼,u- th-vk t½

असोसिएशन फ़ॉर एडवोकेसी एंड 9693853019
लीगल इनिशिएटिव्स (आली)
आलि, डॉ. रुंगता लेन, चेशायर रोड,
बरियातु, रांची– 834009

ह्यूमन राइट्स लॉ नेटवर्क (एच.आर.एल.एन.) 9835577848
एच.आर.एल.एन., झारखंड, एम.आई.जी. एम.एफ़.एच 18,
हरमु हाउसिंग कालोनी, सहिय1ृानंद चॉक,
रांची, झारखंड–834012

LokLF;

दीपशिखा इंस्टीट्यूट फ़ॉर चाइल्ड 2214203
एंड मेंटल हैल्थ इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी 2207161

इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी 2283468/5
राज भवन, रातु रोड, रांची– 834001

रिम्स ब्लड बैंक 8986881331
राजेन्द्र इंस्टीट्यूट ऑफ़ मेडिकल साइंसिज़
बरियातु, रांची– 834009

रिम्स आपातकालीन सेवाएं 8986881333/5
राजेन्द्र इंस्टीट्यूट ऑफ़ मेडिकल साइंसिज 8986881334/6
बरियातु, रांची– 834009

jkph vkSj gtkjhckx esa lkoZtfud LFkkuksa ij efgyk fojkèkh fgalk dk vè;;u] >kj[kaM ¼2014&2016½

यह संयुक्त अध्ययन ओक फ़ाउंडेशन के सहयोग से जागोरी, न्यु कॉन्सेप्ट इन्फ़ॉरमेशन सिस्टम्स व सेफ़्टी पिन द्वारा इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसपोर्टेशन एण्ड डेवलेपमेंट पॉलिसी (आईटीडीपी), सृजन फाउंडेशन, प्रेरणा भारती, एकल नारी सशक्ति संगठन (ईएनएसएस), महिला मुक्ति संस्थान, प्रदान, ब्रेकथ्रू, महिला सामाख्या, महिला अदालत की प्रतिनिधि, घरेलू कामगारों व महिला यौन कर्मी समूह की सहभागिता से किया गया है।

इस अध्ययन में 1000 परिवारों के साथ सर्वे (रांची में 600 तथा हजारीबाग में 400 उत्तरदाताओं के साथ); 12 फ़ोकस ग्रुप चर्चाएं; 13 सुरक्षा परीक्षण (सेफ़्टी ऑडिट) तथा 14 प्रमुख हितधारकों के साथ साक्षात्कार शामिल हैं।इस अध्ययन को जागोरी की वेबसाइट पर पढ़ा जा सकता है।

eq[; uhrtk@fu"d"kZ

» इस अध्ययन के आंकड़ों से साफ़ जाहिर होता है कि महिलाएं अपनी सुरक्षा और अधिकारों में कमी के कारण शिक्षा, काम, आवाजाही, सम्मानित जीवन व अपनी स्वायत्तता से वंचित हैं। 44

» प्रतिशत से ज़्यादा महिलाओं ने मौखिक और प्रत्यक्ष उत्पीड़न के बारे में बताते हुए इन दोनों शहरों को असुरक्षित माना है

» महिलाएं लगातार उत्पीड़न के 'डर' से घिरी रहती हैं, 18–24 साल की महिलाएं सबसे ज़्यादा अरक्षित हैं और उन्होंने कभी न कभी यौन उत्पीड़न का सामना किया है

» जिन स्थानों पर यौन उत्पीड़न होने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है, उनमें सड़कें/मार्ग, बाज़ार स्थल/मॉल, ऑटो/बस स्टॉप और सार्वजनिक परिवहन के साधन शामिल हैं। रोशनी जैसी

» बुनियादी सुविधाओं की खराब स्थिति, भीड़भाड़ वाले सार्वजनिक जगहों और खराब स्थिति वाले सार्वजनिक स्थानों के कारण डर का यह अहसास और बढ़ जाता है

» सार्वजनिक परिवहन साधनों (खासतौर से शेयर्ड ऑटो) को उत्पीड़न के बड़े अड्डे के रूप में देखा गया। महिलाओं ने सार्वजनिक जगहों पर लोगों के खामोश तमाशबीन बने रहने और कोई

» सहयोग न करने की शिकायतें भी कीं

» बहुत कम महिलाओं ने पुलिस सहायता ली

» लड़के और पुरुष एक के बजाय समूह में (असामाजिक गतिविधियों में शामिल) ज़्यादा उत्पीड़न करते दिखाई देते हैं

» 60 प्रतिशत सरवाइवरों ने परिवार के सदस्यों द्वारा उत्पीड़न के बारे में बताया

» जबकि दोनों ही शहरों के 95 प्रतिशत से ज़्यादा पुरुष उत्तरदाताओं ने बताया कि उन्हें मालूम है कि यौन उत्पीड़न और अन्य प्रकार की यौनिक हिंसा कानूनन अपराध है, इस बारे में महिलाओं में जागरूकता कम थी

tkxkjh fnYyh dk;kZy
बी–114, शिवालिक, मालवीय नगर, नई दिल्ली 110 017
फ़ोनः 011 26691219/20 फ़ैक्सः 011 26691221
हेल्पलाइनः 011 26692700/08800996640
(सोम से शुक्र प्रातः 9.30 से सायं 5.30)
jagori@jagori.org; safedelhi@jagori.org
www.jagori.org; www.safedelhi.in; www.livingfeminisms.org
https://www.facebook.com/jagori.delhi
https://www.facebook.com/SafeDelhiCampaign/

tkxkjh >kj[kaM dk;kZy
C/O, शीनवंती सुरेन, प्रथम मंज़िल, चिशायर होम रोड,
निकटः पूनम स्वीट हाऊस, शशि विहार,
बरियातु, रांची–834009, झारखंड
फ़ोनः 07294145556
safecities.jharkhand@jagori.org
https://www.facebook.com/SurakshitJharkhand/

JAGORI
30 years
1984-2014